अपील सूचना अधिकार संख्या 186/2016 अनवानी चंचल पारीक पुत्री स्व0 श्री चांदरतन जोशी निवासी सोनगिरी कुए के पास, पाटा गली, बीकानेर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

13–06–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया चंचल पारीक उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीया चंचल पारीक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्व. श्री चांदरतन जोशी पुत्र श्री आशाराम जोशी का सन 1975 में तहसील श्रीकरणपुर मे यूडीसी पद पर कार्यरत रहते हुए स्वर्गवास हो गया था। प्रार्थिनी स्व. श्री चांदरतन जोशी की पुत्री है जो मृतक आश्रित है। प्रार्थिनी को अपने पिता स्व0 श्री चांदरतन जोशी की सर्विस बुक व निजी पत्रावली की आवश्यकता है। कृपया स्व0 श्री चांदरतन जोशी की सर्विस बुक तथा निजी पत्रावली की प्रमाणित प्रति शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करावे।

अपीलार्थीया ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध नही बताकर सूचना देने से ईन्कार किया है। यदि लोक सूचना अधिकारी के पास वांछित अभिलेख उपलब्ध नही था तो धारा 6(3) के तहत उसका आवेदन पत्र प्राप्ति से 5 दिन के भीतर संबंधित विभाग/कार्यालय को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवाया जाना चाहिए था परन्तु लोक सूचना अधिकारी ने ऐसा नही कर लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की अवमानना की है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचना निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) व 20(2) के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे एवं धारा 19(8)(बी) के तहत लोक सूचना अधिकारी के वेतन से 5000रूपये हर्जा खर्चा एवं प्रतिकर के रूप में दिलाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 12591 दिनांक 22.12.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीया ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.10.16 में जो सूचना चाही थी उसके संबंध में उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण/तलाश किये जाने के पूर्ण प्रयास किये गये किन्तु अपीलार्थीया द्वारा वांछित अभिलेख लगभग 40 वर्ष पुराना होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी। अपीलार्थीया द्वारा जो सूचना चाही गई है वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देय नही है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पंजिकृत पत्र सं0 11041 दिनांक 24.10.16 के द्वारा उसे निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदन द्वारा चाही गई सूचना का जबाब
स्व. श्री चांदरतन जोशी पुत्र श्री आशाराम जोशी का सन 1975 में तहसील श्रीकरणपुर मे यूडीसी पद पर कार्यरत रहते हुए स्वर्गवास हो गया था। प्रार्थिनी स्व. श्री चांदरतन जोशी की पुत्री है जो मृतक आश्रित है। प्रार्थिनी को अपने पिता स्व0 श्री चांदरतन जोशी की सर्विस बुक व निजी पत्रावली की आवश्यकता है। कृपया स्व0 श्री चांदरतन जोशी की सर्विस बुक तथा निजी पत्रावली की प्रमाणित प्रति शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करावे।	इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें आप द्वारा वांछित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध होना नही पाया गया। अतः आपको वांछित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नही करवाई जा सकती है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित अभिलेख लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं0 11041 दिनांक 24.10.16 के द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलाथीर्या को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर